कार्यालय– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) के तत्वावधान में स्ववित्त पोषित आधार पर संकाय/विषय संचालित किये जाने से सम्बन्धित राज्य सरकार के पत्र क्रमांकः प0 4(9) शिक्षा–1/2006 दिनांक : 7.6.2006 में वर्णित शर्त्तों एवं दिशा–निर्देशों के अधीन राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः प0 4(9) शिक्षा–1/2006 दिनांक : 04.07.2019 द्वारा प्राप्त स्वीकृति अनुसार :–

(अ) शर्त्तें एवं दिशा–निर्देश :

1. यह स्वीकृति सम्बन्धित विद्यालय की विद्यालय विकास समिति द्वारा संबंधित विषयों की मांग की आवश्यकता तथा औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए पारित प्रस्ताव के अनुशरण में जारी की जाती है। अतः तत्संबन्धी स्पष्ट प्रस्ताव प्राप्त कर लेना सुनिश्चित कर लेवें।
2. नवीन विषयों के संचालन हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाऐ यथा कक्षा–कक्ष, प्रयोगशाला, फर्नीचर, उपकरण, पाठ्यपुस्तकें आदि की व्यवस्था विद्यालय विकास समिति द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से प्राप्त राशि से की जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा इस हेतु कोई बजट उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आवर्तक/अनावर्तक व्यय के लिए राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नही होगी। समस्त आवर्तक/अनावर्तक व्यय विद्यालय विकास समिति द्वारा वहन किये जाएंगे।
3. विद्यालय विकास समिति द्वारा खोले गऐ नवीन विषयों के अध्यापन हेतु व्याख्याताओं/शिक्षकों/अशैक्षणिक स्टाफ यथा प्रयोगशाला सहायक, सेवक आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी ही होंगे तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार/पैटर्नानुसार समस्त स्टाफ की व्यवस्था विद्यालय विकास समिति द्वारा की जायेगी। निर्धारित योग्यता रखने वाले अध्यापकों एवं अन्य कार्मिकों को विद्यार्थी मित्र के रूप में ही मानदेय के आधार पर लगाया जा सकेगा। इस प्रकार रखे गये कार्मिकों/शिक्षकों/व्याख्याताओं पर होने वाले व्यय को विद्यालय विकास समिति द्वारा वहन किया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई राशि नहीं दी जायेगी तथा ना ही इस सम्बन्ध में कोई पद स्वीकृत किया जावेगा। नियमित नियुक्तियां, पूर्णकालिक नियुक्तियां अथवा संविदा नियुक्तियां नहीं की जावेगी। सेवानिवृत कर्मचारियों को ही विद्यार्थी मित्र के रूप में मानदेय के आधार पर लगाया जा सकेगा।
4. व्याख्याता एवं अन्य कार्मिक राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे व विद्यालय विकास समिति द्वारा रखे गये व्याख्याता/शिक्षकों/अशैक्षणिक कर्मचारियों को राजकीय सेवा में समाहित होने का कोई अधिकार प्राप्त नही होगा।
5. विद्यालय विकास समिति द्वारा किये गये व्यय का पूर्ण लेखा जोखा पृथक से रखा जायेगा। उसका विधिवत वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा। यह लेख जोखा विद्यालय को राज्य सरकार से प्राप्त बजट लेखों से अलग होगा।
6. विद्यालय विकास समिति द्वारा प्रारम्भ किये विषयों के संचालन तथा वित्तीय प्रबन्धन में अनियमितता पाये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान/संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा विद्यालय विकास समिति के माध्यम से स्ववित्त पोषित प्रबन्धन में अनियमितता पाये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
8. विद्यालय विकास समिति द्वारा प्रारम्भ किये नवीन विषयों हेतु निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर मान्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से प्राप्त कर मान्यता में लगाई गई शर्तो की अक्षरशः पालना करनी होगी। इसके उपरान्त ही अध्ययन प्रारम्भ किया जा सकेगा।

sw vitt poshit

9. विद्यालय विकास समिति द्वारा संचालित विषयों को यदि किसी कारणवश बन्द हो गया है तो ऐसी स्थिति में विद्यालय विकास समिति द्वारा सृजित/उपलब्ध कराई गई आधारभूत सुविधाएं यथा भूमि, भवन, प्रयोगशाला उपकरण, फर्नीचर आदि पूंजीगत परिसम्पतियॉ एवं अन्य सामग्री पर संबंधित विद्यालय का स्वामित्व होगा।

10. स्व वित्त पोषित योजनान्तर्गत विषयों के प्रारम्भ की स्वीकृति एक निश्चित अवधि कम से कम 5 वर्ष सुनिश्चित किये जाने या स्थायी रूप से इस योजना में संचालित किए जाने की सहमति होने पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ब) विद्यालय का नाम एवं स्वीकृत विषयों (सत्रः 2019–20 से) का विवरण :

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	प्रारम्भ किये जाने वाले अतिरिक्त विषय का नाम
1	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोलूवाला,सिहागान (22 जे.आर.के.) ब्लॉक–पीलीबंगा, जिला–हनुमानगढ़	संचालित विज्ञान संकाय में सत्र 2019–20 से कक्षा 11 व 12 में अतिरिक्त ऐच्छिक विषय जीव विज्ञान का संचालन।
2	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामसरा नारायण, जिला–हनुमानगढ़	1. संचालित विज्ञान संकाय में सत्र 2019–20 से कक्षा 11 व 12 में अतिरिक्त ऐच्छिक विषय गणित का संचालन। 2. उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर स्तर 2019–20 से कक्षा 6 से 10 में तृतीय भाषा के रूप में अतिरिक्त विषय पंजाबी का संचालन।

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार विद्यालय में निरीक्षण के दौरान इस विषयक पंजिका एवं अभिलेखों का अवलोकन कर यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार एवं विभाग के द्वारा स्ववित्त पोषित आधार पर विषय संचालन बाबत प्रसारित समस्त शर्त्तों एवं दिशा–निर्देशों की पालना संबंधित विद्यालय द्वारा की गई/की जा रही है। किसी भी स्तर पर शर्त्तों/ दिशा–निर्देशों की पालना नहीं होने पर संबंधित संस्था प्रधान उत्तरदायी होगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा/अ–4/21327/स्ववित्तपोषित/2018–19 दिनांक : 04.07.2019

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
5. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग– बीकानेर।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, हनुमानगढ़।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक, हनुमानगढ़।
8. अनुभाग अधिकारी संस्थापन–सी–1,2,3,4/शाला दर्पण/योजना/माध्यमिक अनुभाग का प्रभाग अ–1 ।
9. सम्बन्धित संस्था प्रधान।
10. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

sw vitt poshit